12.3.22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी उप०। पेशकार उप- है, पेशकार सरकार के अनुसार मामला कि वाद में राजीनामा प्रमाणित नहीं हो रहा है, तथा वाद स्वीकार योग्य है।	वाद स्वीकार है TDR सं०
	मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा जवाबदावा प्रतिवादी से यह जाहिर होता है कि वादिनी ने उनके वादपत्र में जो कथन किये हैं वे सच्चे हैं, ऐसी स्थिति में वादिनी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है [illegible] लिए से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है [illegible]	शीला
	तदनुसार निर्णय पृथक से लिखकर जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	अंगूठा [illegible] वाद स्वीकार योग्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला

कोटा

प्रकरण संख्या : 20/2022 तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा हाल मवासा तहसील छीपाबडोद जिला बांरा। – वादिनी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के पूर्वजों ... की आराजी माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 60 पुरानी 57 के ख.न. 207 की 0.05 है., ख.न. 462 की 0.20 है., ख.न. 468 की 0.02 है., ख.न. 469 की 0.36 है., ख.न. 470 की 1.30 है., ख.न. 478 की 0.45 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

कुल 6 किता की कुल 2.38 है. आराजी में वादिनी का नाम अधिकार अभिलेख में वादिनी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादिनी का गांव में बोलने वाला नाम कैलाश ही दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है जबकि वादिनी का आधार कार्ड, जन आधार, पुराने राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि सभी दस्तावेजात में शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राज हाल मवासा तहसील छीपाबडौद जिला बांरा है। साथ ही वादिनी आधार या अन्य रेकार्ड अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है तथा वादिनी ने प्रतिवादी को बालिग होने के दस्तावेज देने पर भी बालिग दर्ज नहीं किया है। वादिनी के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम व रेकार्डेड नाम है लेकिन दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है, वादिनी के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

विवादित आराजी में से भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिंचाई परियोजना की नहर के लिए भूमि को अवाप्त किया जाकर वादिनी को खाते दर्ज गलत नाम का चैक जारी किया है जिनको वादिनी ने अपने बैंक के प्रबन्धक को बताने पर चैक को बैंक खाते के नाम जारी करवाने की कही। इस पर वादिनी भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास गई तो उन्होंने खाते में नाम सही करवाने की कही। इसके बाद वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया लेकिन आज तक वादी का नाम सही नहीं किया है इस कारण से वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा [illegible] सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 60 पुरानी 57 के ख.न. 207 की 0.05 है., ख.न. 462 की 0.20 है., ख.न. 468 की 0.02 है., ख.न. 469 की 0.36 है., ख.न. 470 की 1.30 है., ख.न. 478 की 0.45 है. कुल 6 किता की कुल 2.38 है. आराजी में दर्ज वादिनी के गलत नाम कैलाश पुत्री परसराम के स्थान पर शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज करने की कृपा करें साथ ही नाबालिक की जगह बालिग दर्ज करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वाद में राजहित प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा जवाब प्रतिवादी से यह जाहिर होता है कि वादिनी ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादिनी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 60 पुरानी 57 के ख.न. 207 की 0.05 है., ख.न. 462 की 0.20 है., ख.न. 468 की 0.02 है., ख.न. 469 की 0.36 है., ख.न. 470 की 1.30 है., ख.न. 478 की 0.45 है. कुल 6 किता की कुल 2.38 है. आराजी में दर्ज वादिनी के गलत नाम कैलाश पुत्री परसराम के स्थान पर शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज किया जावें एवं नाबालिग की जगह बालिग दर्ज किया जाकर इन्तराज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मॉजस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा प्रथक से जारी किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested